# परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | जिला योजना के अर्न्तगत पन्तगॉव–चमडखान–शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार(सिमलधार से शैलापानी तक मिलान) (प्रथम चरण) | | | |
| ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्न है। | | | |
| ग) परियोजना की लागत। | 56.60 लाख | | | |
| घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | वन भूमि के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण एवं जनता को यातायात की सुविधा हेतु। | | | |
| ड.) लागत लाभ विश्लेशण (संलग्न किये जाने के लिए) | लागू नही है। | | | |
| च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ स्वास्थ एवं शिक्षा कि सुविधा मिलेगी | | | |
| 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः | राज्य वन भूमि हे. | वन पंचायत भूमि हे. | आरक्षित वन भूमि हे. | कुल भूमि हे. में |
| | 1.935 | 0.00 | शून्य | 1.935 |
| 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है | कोई नहीं। | | | |
| क) परिवारों की संख्या | कोई नहीं। | | | |
| ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | कोई नहीं। | | | |
| ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | आवश्यकता नहीं। | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?<br>(हां/नही) | नहीं। |
| 4. | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) | सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 5. | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा। | संलग्न है। |

दिनांक 16-3-2015
स्थान रानीखेत

सहायक अभियन्ता
नि० ख०, लो० नि० वि०
रानीखेत

(संजय प्रसाद सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)